नानूराम बनाम रामप्रताप

27819

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली पर उभय पक्षों को सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28–07–2011 को अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जबकि प्रकरण की वस्तुस्थिति यह है कि अपीलंट के पिता श्री नानूराम पुत्र कानाराम का स्वर्गवास दिनांक 02–11–2006 को हो गया था व इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 व 4 का स्वर्गवास भी इससे पूर्व हो चुका था। जिनके वारिसान को प्रस्तुत अपील में पक्षकार स्थापित करते हुए रिकार्ड पर लिया जाना था। इस हेतु नोटिस भी अपील में प्रस्तुत किये जा चुके थे। प्रार्थीगण अपीलांट नानूराम के जायज वारिसान है। जिन्हें न्यायालय हाजा के समक्ष जैरकार प्रकरण की कतई जानकारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में वे मुकदमें की पैरवी नहीं कर पाये है ना ही प्रार्थीगण अपील में नियुक्त अधिवक्ता से भी सम्पर्क नहीं कर पाये है।

ऐसी स्थिति में जानकारी के अभाव में न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। प्रार्थीगण चमान जाति के अनपढ़ व्यक्ति है जिन्हें कानूनी पेचिदगियों की जानकारी नहीं थी। जिसमें प्रार्थीगण की कोई गलती नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करते हुए प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील को पुनः गुणावगुण पर निर्णय हेतु सुनवाई हेतु निर्धारित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्पष्ट रूप से मियांद बाहर पेश है। प्रार्थी अपने अधिकारो के प्रति स्वयं सजग नहीं रहे है। न्याय का यह सिद्वान्त है कि कोई भी सोया हआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में कानून उन्हें किसी प्रकार की रिलिफ प्रदान नहीं कर सकता है। अतः प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का विधि का परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में प्रार्थीगण के पिता व पति नानूराम ने सन् 1991 में टीनेन्सी एक्ट की धारा 19 के तहत सहायक कलेक्टर, बीकानेर के समक्ष

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

दरखवाश्त पेश की तथा ग्राम सींथल के खसरा नम्बर 607 की भूमि पर उपकाश्तकार के रूप में कब्जा काश्त होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का अनुतोष मांगा। न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दावा खारिज हो जाने के कारण रेसज्यूडिकेसा के सिद्वान्त के आधार पर नानूराम की दरखवाश्त खारिज कर दी। नानूराम ने सहायक कलेक्टर के निर्णय दिनांक 19–02–1996 के तत्काल बाद उक्त निर्णय दिनांक 19–02–1996 की अपील पेश की।

अपील पेश होने के आगामी 15 वर्ष बाद तक रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु सम्मन जारी नहीं करवा सकता। इसी दौरान सन् 2006 मे ही अपीलांट नानूराम की मृत्यु हो जाने की जानकारी उसके अधिवक्ता द्वारा आगामी पॉच वर्ष तक न्यायालय को नहीं दी गई तथा अपील लम्बित रही। नियमानुसार अपील अपीलांट नानूराम की मृत्यु के तीन माह बाद स्वतः ही अबेट हो जानी चाहिए थी, परन्तु सूचना के अभाव में लम्बित रही। दिनांक 28–07–2011 को अपीलांट की गैर मौजूदगी में अपील खारिज कर दी गई। अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो जाने के बाद आगामी 3 वर्षो तक नानूराम के वारिसों द्वारा रेस्टोरेशन दरखवाश्त पेश नहीं की गई।

प्रार्थीगण का तर्क है कि केवल तकनीकी आधार पर किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिए। (आरआरटी 2018 पेज 1545) इसी प्रकार आरबीजे 2018 पेज 373 पर उल्लेखित प्रहलाद शंकर बनाम सरकार के मामलें में सर्वोच्य न्यायालय के निर्णरू की प्रति पेश कर प्रकियात्मक कानून के आधार पर पक्षकारों को वाजिब न्याय से वंचित न करने का तर्क दिया। दोनों विवेचित मामलों में अपीलांट्/प्रार्थीगण द्वारा अल्प अवधि के विलम्ब तथा विलम्ब के कारण संतोषजनक पाये जाने पर विलम्ब शमन को उचित बताया गया। विचाराधीन मामलें में परीक्षण न्यायालय के स्तर पर दो बार अंतिम निर्णय किया जा चुका था। पश्चात्वर्ती निर्णय की अपील पेश करने के उपरान्त आगामी 15 वर्ष तक पैरवी नहीं करने में स्वयं अपीलांट तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त वारिसों ने तफरीना अंदाज में अपील में पैरवी नहीं की। पैरवी के अभाव में अपील खारिज होने के तीन साल बाद भी रेस्टोरेशन दरखवाश्त पेश न करना अपीलांट/प्रार्थीगण की अपील के प्रति तटस्थता जाहिर होती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मूल दरखवाश्त जिसके द्वारा अनुतोष मांगा गया था, में भी सारभूत रूप से ऐसा कोई ठोस आधार नहीं लिया गया है जिसके आधार पर अपीलांट के अधिकारों का हनन होता हो। अतः प्रार्थीगण का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।